तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/8/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी की ओर से बहस प्रार्थना पत्र की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नं0 268, 271, 273, 274, 276, 277 वाके ग्राम कैथून तह0 लाडपुरा में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थी का नाम उक्त जमाबंदी में त्रुटिवश लखन के स्थान पर रामलखन दर्ज हो चुका है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में नाम लखन दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का नाम उपरोक्त आराजी के राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम रामलखन के स्थान पर लखन अंकित करने का आदेश प्रदान करे। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णन किया है कि प्रार्थी के आधार कार्ड व पहचान पत्र में लखन सुमन पुत्र पप्पु सुमन दर्ज है। मुताबिक गवाहान के आधार पर लखन व रामलखन एक ही व्यक्ति है। बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के कथनों को दोहराया। उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न तहसील रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज यथा आधार कार्ड, अंकतालिका की प्रति एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रामलखन एवं लखन एक ही व्यक्ति के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम कैथून तह0 लाडपुरा में स्थित आराजी खसरा नं0 268, 271, 273, 274, 276, 277 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाबालिग रामलखन पुत्र पप्पू सुमन के स्थान पर रामलखन उर्फ लखन पुत्र पप्पू सुमन दर्ज किया जावे। उक्त निर्णय आज दिनाकः 16/8/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। गजेन्द्र सिंह उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★	